भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1503

(12 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

नागालैंड में ग्रामीण आवास

1503. श्री तोखेहो येपथोमी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020-23 तक नागालैंड राज्य को उपलब्ध कराए गए ग्रामीण आवासन का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसे मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान नागालैंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत आवंटित लक्ष्य, स्वीकृत और निर्मित मकान इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष	मंत्रालय द्वारा राज्य को आंवटित लक्ष्य	राज्य द्वारा स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
2020-21	7,931	7,894	535
2021-22	4,924	4,899	0
2022-23	0	0	3,210

(ख): पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों, नागालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना (आई. ए. पी.) जिलों में 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) या वित्त पोषण के अन्य समर्पित स्रोतों के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000/- रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। मनरेगा योजना के अभिसरण से पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को अपने मकान के निर्माण के लिए मौजूदा दरों पर 90/95 श्रमदिवस का अकुशल मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है।

(ग): जी हां। नागालैंड राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के प्रावधानों के अनुसार पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी के तहत दिनांक 06.12.2023 की स्थिति के अनुसार, राज्य को 49,048 मकानों का लक्ष्य सौंपा गया है और इनमें से लाभार्थियों को 48,830 मकानों की मंजूरी दे दी गई है और 9,297 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

*****